

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार,
टप्पा/तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़

RS/442/0110/19740/2016 /बी-121/2016

दिनांक 31/08/2016

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. परमजीतसिंह परमार पिता/पति शिवनाथसिंह परमार निवासी बरायठा, Baraytha, Narsingharh, राजगढ़ तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील ज्ञाप दिनांक 20/12/2011 में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक (i) की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2. * प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/17/1/3/2011 दिनांक 20/12/2011 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी*/अवयस्क बच्चे* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

(1) आवेदक की पत्नी का नाम आयु वर्ष है।

(2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री एवं आयु

टीप :- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जाँच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के आधार पर जारी)

हस्ताक्षर


तहसीलदार/नायब तहसीलदार,
तहसील नरसिंहगढ़
जिला राजगढ़

* लागू ने होने पर काट दें।



नोट :- पंजीयन क्रमांक : RS/442/0110/19740/2016 जारी र. टिकट का सत्यापन वेबसाईट ekseva.gov.in अथवा mpedistrict.gov.in पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाईट www.mpedistrict.gov.in से मेरे द्वारा निकाला गया है।



26/67